

06.01.2022

पत्रावली आज वेष दुर्घ। प्रार्थी अधिवक्ता श्री
राजेन्द्र सिंह कोठ उपस्थित। सुरफेय ठाठ पंचायत
द्वारा अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या दी के
अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दी ने जाहिर
किया कि अप्रार्थी श्री आरिफानारान की मृत्यु दिनांक
06.11.2020 से हो चुकी थी, जिसके न्यायालय द्वारा
उनके वारिसों को रेकर्ड पर नहीं लेकर जाहिर पारि
किया गया है जो मुक्ति मुक्त प्रती होने से न्याय संगत
प्रती होगा ही इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा भी कोर्ट
को आपति जाहिर नहीं की। अतः अप्रार्थी संख्या दी
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पंचायत
निगरानी संख्या 226/2012 निर्णय दिनांक 15.04.2021
को आपस्त कर मूल निगरानी पुनः दर्ज रजिस्ट्रर कर
मूल निगरानी में आश्रम कार्यवाही क्रि. जति के निष्प
दिए जाते हैं अतः पत्रावली केसल शुभार लेकर नम्बर
से ठम है एवं मूल निगरानी के साथ नल्य है।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिराही